

समाचार

समाचार

श्रीमान् सुकुम्भुन शर्मा (सहस्रीक व जिला शिमला)
विषय

श्री शर्मा सार्वजनिक काम सुकुम्भुन शर्मा (सहस्रीक व जिला शिमला) द्वारा
 प्रथम श्रेणी/समाचार विभाग सुकुम्भुन शर्मा विभागाधीन सुकुम्भुन शर्मा द्वारा
 सहस्रीक व जिला शिमला द्वारा एक प्रार्थना पत्र का साथ ही प्रस्तुत किया गया है जिसमें
 उल्लिखित किया गया है कि श्रीमान् सुकुम्भुन शर्मा द्वारा संख्या १२ के माता संख्या २१२
 संख्या ०२३३ है जमाती ११,६०० रु० व माता संख्या ४१ के माता संख्या २००मि./१ संख्या ०२३३
 जमाती ०६,६०० रु० व माता संख्या ४० के माता संख्या २००मि./२ संख्या ००००मि० जमाती ००,०००
 सादागा भूमि के शर्मा व सहायकी भूमिगत आवासीय हैं। उक्त भूमि पर भूमि संपत्ति जोड़ें
 कार्य भूमि, सादागा, सुकुम्भुन शर्मा व सार्वजनिक जमीन नहीं हो रहा है। उक्त आवासीय के आवासीय
 प्रमाण पत्र अतिरिक्त प्रमाणित किया जाने की मांग की गई है।

सार्वजनिक जमीन पर श्री शर्मा द्वारा सहस्रीक सार्वजनिक जमीन पर
 शिमला शिमला द्वारा श्री शर्मा के साथ उक्त जमीन अर्थात् शिमला प्रमाण पत्र पर सार्वजनिक जमीन
 को संपत्ति कराया गया है। जिसमें उल्लिखित किया गया है कि श्रीमान् सुकुम्भुन शर्मा द्वारा
 संख्या १२ के माता संख्या २१२ संख्या ०२३३ है जमाती ११,६०० रु० व माता संख्या ४१ के माता
 संख्या २००मि./१ संख्या ०२३३ जमाती ०६,६०० रु० व माता संख्या ४० के माता संख्या २००मि./२
 संख्या ००००मि० जमाती ००,००० सादागा भूमि के शर्मा व सहायकी भूमिगत आवासीय हैं। उक्त
 भूमि पर भूमि संपत्ति जोड़ें कार्य भूमि, सादागा, सुकुम्भुन शर्मा व सार्वजनिक जमीन नहीं हो रहा
 है। अतिरिक्त अतिरिक्त की संख्या १४३ के अर्थात् अतिरिक्त प्रमाणित किया जाने हेतु उक्त संपत्ति
 प्रमाणित किया जा रहा है।

मैंने पाठों को सुना सार्वजनिक जमीन अर्थात् शिमला; सार्वजनिक जमीन अर्थात्
 सार्वजनिक जमीन की संख्या १४३ है कि श्रीमान् सुकुम्भुन शर्मा द्वारा संख्या १२ के माता
 संख्या २१२ संख्या ०२३३ है जमाती ११,६०० रु० व माता संख्या ४१ के माता संख्या २००मि./१ संख्या
 ०२३३ जमाती ०६,६०० रु० व माता संख्या ४० के माता संख्या २००मि./२ संख्या ००००मि० जमाती ००,
 ००० सादागा भूमि के शर्मा व सहायकी भूमिगत आवासीय हैं। उक्त भूमि पर भूमि संपत्ति जोड़ें
 कार्य भूमि, सादागा, सुकुम्भुन शर्मा व सार्वजनिक जमीन नहीं है। उक्त सार्वजनिक जमीन को
 अतिरिक्त अतिरिक्त की संख्या १४३ के अर्थात् अतिरिक्त प्रमाणित किया जाने हेतु प्रतीत होता है।

संदर्भ

सार्वजनिक जमीन के अर्थात् श्री शर्मा सुकुम्भुन शर्मा द्वारा संख्या १२ के माता संख्या
 २१२ संख्या ०२३३ है जमाती ११,६०० रु० व माता संख्या ४१ के माता संख्या २००मि./१ संख्या ०२३३
 जमाती ०६,६०० रु० व माता संख्या ४० के माता संख्या २००मि./२ संख्या ००००मि० जमाती ००,
 ००० सादागा भूमि अतिरिक्त प्रमाणित करने हेतु सार्वजनिक जमीन की मांग की जा रही है। सार्वजनिक जमीन पर
 सार्वजनिक जमीन के अतिरिक्त अतिरिक्त की संख्या १४३ के अर्थात् अतिरिक्त प्रमाणित किया जाने हेतु प्रतीत
 होता है। सार्वजनिक जमीन अतिरिक्त अतिरिक्त प्रमाणित करने की मांग की जा रही है।

दिनांक: २०/०१/२०१४

(श्रीमान् सुकुम्भुन शर्मा)
 अतिरिक्त सार्वजनिक जमीन,
 उप निदेशिका, सार,
 शिमला

AKP/148/SP/2013-2014/52



न्यायालय अधिसूचना तालकाट प्रथम क्षेत्री/एच जिलाधिकारी, सदर, विरोजाबाद।

सदर संख्या ११७/२०११-१२

भाग-१४३ जकारिड अधिनियम

सदरमाह

प्रथम

अध्या संख्या

सदर-सुतुजपुर जमीन तहसील व जिला विरोजाबाद।

विषय

सदरमाह एच क्षेत्रमा-सिवाजी गण्डा जनसंख्या नाम ग्राम दावाखुई तहसील व जिला विरोजाबाद द्वारा एक प्रार्थना पत्र गण सभ्य एच प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लिखित किया गया है कि ग्रामी बीदा सुतुजपुर जमीन स्थित खाल १५१/१ संख्या २०८/१ संख्या १,३२१ ईच १३,५५ संघ साताना भूमि में से ०,३३० ईच लगानी ०२,६० संघ साताना भूमि में आसी व संकल्पीय भूमिपर कायदाकार है। उक्त भूमि पर कृषि सम्बन्धी कोई कार्य कृषि सम्बन्धी सुधार पालन व सभ्य पालन आदि नहीं हो रहा है। उक्त आसी को आसी प्रयोजन हेतु आसी घोषित किया जाने की मांग की गई है।

उपर्युक्त प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार सदर ने करायी गई। तहसीलदार द्वारा विरोजाबाद द्वारा की गई जांच कर अपनी आगत रिपोर्ट में उक्त पर न्यायालय को प्रस्तुत करायी गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्रामी बीदा सुतुजपुर जमीन स्थित खाल संख्या १५१/१ संख्या २०८/१ संख्या १,३२१ ईच लगानी १३,५५ संघ साताना भूमि में से ०,३३० ईच लगानी ०२,६० संघ साताना भूमि में आसी व संकल्पीय भूमिपर कायदाकार है। उक्त भूमि पर कृषि सम्बन्धी कोई कार्य कृषि सम्बन्धी सुधार पालन व सभ्य पालन आदि नहीं हो रहा है। जकारिड अधिनियम की धारा १४३ के अन्तर्गत आसी घोषित किया जाने हेतु अध्या संसूचि-सहित प्रेषित की है।

एक अन्य को सुना एच प्रस्तुत कर प्रयोजन किया। सम्बन्धी पर उल्लेख न्यायालय द्वारा विरोजाबाद को आसी की स्थिति है कि ग्रामी बीदा सुतुजपुर जमीन स्थित खाल संख्या १५१/१ संख्या २०८/१ संख्या १,३२१ ईच लगानी १३,५५ संघ साताना भूमि में से ०,३३० ईच लगानी ०२,६० संघ साताना भूमि में आसी व संकल्पीय भूमिपर कायदाकार है। उक्त भूमि पर कृषि सम्बन्धी कोई कार्य कृषि सम्बन्धी सुधार पालन व सभ्य पालन आदि नहीं हो रहा है। इसमें उल्लेख न्यायालय को इस आगत में उक्त पर प्रस्तुत किया है कि उक्त भूमि को आसी घोषित करने में जकारिड अधिनियम की धारा १४३ अधिनियम नहीं है। जो उक्त आसी को जकारिड अधिनियम की धारा-१४३ के अन्तर्गत आसी घोषित किया जाना उचित नहीं होता है।

सर्वांग

उपर्युक्त विवेचना के अन्तर्गत पर ग्रामी बीदा सुतुजपुर जमीन स्थित खाल संख्या १५१/१ संख्या २०८/१ संख्या १,३२१ ईच लगानी १३,५५ संघ साताना भूमि में से ०,३३० ईच लगानी ०२,६० संघ साताना भूमि आसी/अनुचित घोषित करत हुए लगान को मुक्त की जाती है। न्याय न्याय अदालत को भेज रहेगी। अन्तर्गत की प्रति तहसीलदार सदर विरोजाबाद को इस निर्देश के साथ धारा १४३ के तहत जकारिड अधिनियम/अध्या अधिनियम के अन्तर्गत पर उक्त पत्र को पत्र विरोजाबाद विरोजाबाद को भेजी जाय। उक्त अधिनियम अधिनियम घोषित करताने की कार्य।



(समस्तकर)
जकारिड अधिनियम प्रथम धारा/
एच जिलाधिकारी, सदर,
विरोजाबाद।

दिनांक १६.०८.२०१३